

**FORM-II****(For projects other than linear projects) -**

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector DEHRADUN

No 249/ DLRC

Dated 26/03/2015

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 9.194 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PMGSY, Div. I.D., Dehradun for the Construction of Shastradhara to Naliwala (11.425Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Naiwala village in Dehradun tehsil.

It is further certified that:

- (a) — The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.194 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and



the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Naliwala villages(s) is enclosed as annexure 30 to annexure 30.20

- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: - As above.

  
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
देहगढ़न

**FORM-I**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector**

No. 249/DLRC

Dated 26/03/2015

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 9.194 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D Uttarakhand for New Road Construction in Dehradun district falls within jurisdiction of Naliwala Village in Dehradun sadar Tehsils.

It is further certificated that:

- ASSTT. ENGR
- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 9.194 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23.2, 23.2.1
  - (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
  - (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

  
 Signature

(full name and official seal of the District Collector)

**जिलाधिकारी**  
**देहरादून**



कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून  
जनपद देहरादून

पत्रांक 249/डी०एल०आर०सी०/

दिनांक 26/03/2015

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 26/03/2015 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 5.194 हे० भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी- देहरादून सदर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 5.194 हे० भूमि जो कि वन विभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- देहरादून सदर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(रामअवलार सिंह)  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून

(धीरंज पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मन्सूरी वन प्रभाग, मन्सूरी

(रविनाथ रमन)  
जिलाधिकारी, देहरादून  
जिलाधिकारी  
देहरादून

पृ०स० 249 / डी०एल०आर०सी० / दिनांक 26/03/2015

प्रतिलिपि:-

1 अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(रविनाथ रमन)  
जिलाधिकारी, देहरादून

जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी / जिलाधिकारी महोदय,

पत्रावली के दायीं और रक्षित वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना (जनजाति कार्य मंत्रालय) दिनांक 01 जनवरी, 2008 के क्रम में ग्राम स्तरीय समिति एवं उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा (कार्लिगाड) से नालीवाला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.14 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण हेतु पारित किया गया है।

उप खण्ड स्तरीय समिति, उपजिलाधिकारी (सदर) देहरादून द्वारा दिनांक 26.03.2015 को पारित प्रस्ताव के पश्चात् जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाना है।

अतः उप खण्ड स्तरीय समिति, देहरादून द्वारा प्राप्त उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किये जाने हेतु सहमति की दशा में रक्षित पत्रालेख पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

(राम अवतार सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी / सचिव-सदस्य,  
देहरादून।

*[Signature]*  
26/3/15

जिलाधिकारी  
देहरादून

ASSTT. ENGR



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, DEHRADUN on dated 26/03/2015 at time 4:30 PM at DEHRADUN In which application claiming rights in measuring 0.56 Hact. Area hect for the construction of Village Shastradhara to Naliwala motor road (11.425Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dehradun sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

ASST. ENGR

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Dated: 26/03/2015

Deputy Commissioner-cum-  
Chairman  
District Level Committee

देहरादून



## प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में सहस्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग।
-----------------	--

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत सहस्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग (१८.६२२ हे० आरक्षित वन भूमि, ०.५६७ हे० सिविल एवं सोयम भूमि, २५.६६६ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४४.८५५ हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून, ) की दिनांक 26/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रामजी शरण उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री रामजी शरण उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
श्री डी०पी० बलोनी उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
श्री बी०डी०राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
श्रीमती शैला देवी बी०डी०सी०	सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सहस्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग परियोजना हेतु ४४.८५५ हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,

2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम सहस्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु १.१५ हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- देहरादून  
जनपद- देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- देहरादून  
जनपद- देहरादून

*[Handwritten signature]*  
26/3/15  
DSV



प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में सहस्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग।
--------------------	---

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**  
**ग्राम पंचायत का नाम नालीवाला**  
**तहसील सदर, जिला देहरादून**  
**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत सहस्रधारा -नालीवाला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.627 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.567 हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 2.20 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.494 हे० वन भूमि ) का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नालीवाला द्वारा दिनांक 12.02.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नालीवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत नालीवाला

गुडडी पयाल  
प्रधान  
ग्राम पंचायत नालीवाला  
जिला देहरादून  
मुहर सहित



प्रपत्र-28

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में सहस्तृधारा - नालीवाला तक मोटर मार्ग।
-----------------	--

### आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सहस्तृधारा - नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मोटर मार्ग जनहित में अति आवश्यक है तथा मार्ग निर्माण में आने वाली समस्त भूमि को वर्तमान संकिल दरों पर लो0नि0वि0 विभाग को देने को सहमत है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

दिनांक 12.02.2015

3159  
गुडडी पयाल  
प्रधान  
ग्राम पंचायत नालीकला  
वि0ख0-रायपुर, देहरादून

गुडडी पयाल  
प्रधान  
ग्राम पंचायत नालीकला  
वि0ख0-रायपुर, देहरादून  
ग्राम प्रधान की मोहर



दिनांक 12.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत नालीवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कंवर सिंह S/o सवान सिंह ग्राम नाली कला	कुलर सिंह
2	श्री-शुलाभ सिंह S/o कंवर सिंह ग्राम नाली कला	<del>मिथुन सिंह</del>

(3) श्री रमेश सिंह S/o प्रेम सिंह नाली कला

(4) श्री बेताल सिंह S/o कुलर सिंह ग्राम नाली कला

(5) श्री जगदीश सिंह पपाल S/o कृपाल सिंह ग्राम नाली कला

(6) श्री मोर सिंह S/o काशीराम ग्राम नाली कला

(7) श्री नरेन्द्र सिंह S/o सवान सिंह ग्राम नाली कला

(8) मदन लाल S/o खादर ग्राम नाली कला

(9) श्री इतवार सिंह S/o सवान सिंह " "

(10) रामदत्त S/o चक्रमणी ग्राम नाली कला

(11) श्री लचन सिंह S/o कुलर सिंह " "

(12) प्रेम सिंह S/o अमर सिंह " "

(13) कलम सिंह S/o मूरिया सिंह " "

(14) महावीर सिंह S/o कमल सिंह " "

(15) श्यामलाल S/o धिरेन्द्र " "

(16) कृपाल सिंह S/o मातार सिंह " "

(17) हन सिंह S/o माडू सिंह " "

(18) रमेश सिंह S/o कृपाल सिंह " "

(19) चरत सिंह S/o कृपाल सिंह " "

(20) विशान S/o कृपाल सिंह " "

(21) सवानु S/o धिरेन्द्र सिंह " "

(22) मान सिंह S/o भवानु " "

23 श्यामीर S/o सवानु " "

(24) मोशान S/o धिरेन्द्र " "

(25) दिपा S/o गोवरु " "

(26) मोन " " " "

रमेश सिंह

बेताल सिंह

मदन लाल

इतवार सिंह

रामदत्त

लचन सिंह

प्रेम सिंह

Kalam Singh

महावीर सिंह

श्यामलाल

कृपाल सिंह

हनु सिंह

रमेश सिंह

चरत सिंह

विशान

सवानु

मान सिंह

श्यामीर

मोशान

गुडडी

गुडडी पयाल

प्रधान

ग्राम पंचायत नालीकला

वि०ख०-रायपुर, देहरा

ग्राम प्रधान



- 24) प्रेम सिंह सो <sup>अपनी</sup> ग्राम नाली कला
- 30) प्रेम सिंह सो अमर सिंह " "
- 31) च-वन सो प्रेम सिंह " "
- 32) राय सिंह सो प्रेम सिंह " "
- 33) विक्रम सिंह सो प्रेम सिंह " "
- 34) रतन सिंह सो मादू सिंह " "
- 35) हरनाम सो अमर सिंह " "
- 36) मदन सो हरनाम सिंह " "
- 37) कंठ सिंह सो नारायण सिंह " "
- 38) महीपाल सिंह सो कु-वन सिंह " "
- 39) सुकेला सो अतवार सिंह " "
- 40) जयवीर सो आतवार सिंह " "
- 41) मोहन सिंह नेगी पुर्व क्षेत्र पंचायत वर्धना (नाली कला)
- 42) गोविंद सिंह राणा सो रमेश सिंह " "
- 43) लचन सिंह नेगी सो रमेश सिंह " "
- 44) सुरवीर सिंह लिल्ल सो क-प्र सिंह " "
- 45) धुम सिंह सो क-प्र सिंह " "
- 46) विक्रम सिंह वाड लक्ष्म वाड न०=5 " "
- 47) राकेश चमोली वाड लक्ष्म वाड न०=4 " "
- 48) जीमती विनिता देवी वाड लक्ष्म वाड न०=3 " "
- 49) जीमती सीना देवी वाड लक्ष्म वाड न०=1 " "
- 50) जीमती कृष्णा देवी ~~वाड लक्ष्म वाड न०=3~~ प्रधान " "
- 51) जगदीश नेगी सो कतर सिंह
- 52) मदन सिंह सो विमान सिंह
- 53) चमनी देवी लो रमेश सिंह
- 54) जीमती अमीता जवाही पूर्व क्षेत्र पंचायत लक्ष्म वर्धना (नाली कला)
- 55) दयाल सिंह वात सो भवान सिंह ग्राम नाली कला
- 56) जयपाल सिंह पुण्डीर सो विर-द सिंह पुण्डीर ग्राम नाली कला
- 57) हरीराम चतु सो रविदत्त ग्राम नाली कला
- 58) श्री विक्रम सिंह पोतरिपाल " "
- 59) सुमन लाल सो गोभाराम " "
- 60) चमन लाल सो लोभीराम " "
- 61) हरीराम सो बालतराम " "
- 62) मोपाल सिंह सो क-प्र सिंह " "
- 63) करण सिंह सो क-प्र सिंह " "
- 64) जयपाल सिंह

प्रेम सिंह

चन्दन सिंह

रतन सिंह

रतन सिंह

नारायण

हरनाम सिंह

कनक सिंह

सुकेला सिंह

जयवीर सिंह

मोहन सिंह नेगी पुर्व क्षेत्र पंचायत वर्धना (नाली कला)

Gowardhan

लचन सिंह

सुरवीर सिंह लिल्ल

धुम सिंह

विक्रम सिंह

Rakesh

विनिता देवी

सीना देवी

कृष्णा देवी

जगदीश

जगदीश

मदन सिंह

चमनी देवी

मोहन सिंह नेगी पुर्व क्षेत्र पंचायत लक्ष्म वर्धना (नाली कला)

Dangwal

हरीराम

विक्रम सिंह

सुमन लाल

चमन लाल

हरीराम

मोपाल सिंह

गुडडी

गुडडी पयाल

प्रधान

ग्राम पंचायत नाली कला

वि० ख०-रायपुर, देहरादून



## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—

कालीगाड़

तहसील — देहरादून।

जिला — देहरादून।

उत्तराखण्ड में जनपद—देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के लाड़पुर रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में सहस्त्रधारा (कालीगाड़)-नालीवाला मोटर मार्ग (11.425 किमी०) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालीगाड़ द्वारा दिनांक 29/05/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालीगाड़ के ग्रामवासियों को उक्त सहस्त्रधारा (कालीगाड़)-नालीवाला मोटर मार्ग/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम सचिव  
मुहर सहित



ग्राम प्रधान  
मुहर सहित



### प्रपत्र- 28

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में सहस्त्रधारा (कालीगाड़)-नालीवाला तक मोटर मार्ग।

### आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मोटर मार्ग जनहित में अति आवश्यक है तथा मार्ग निर्माण में आने वाली समस्त भूमि को वर्तमान सर्किल दरों पर लोक निर्माण विभाग को देने में सहमत है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।





प्रपत्र-30.5

दिनांक 29/05/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कालीगाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरज सिंह	सुरज सिंह
2	भरत सिंह	भरत सिंह
3	धुन सिंह	धुन सिंह
4	किरण लाल सिंह	किरण लाल सिंह
5	रतन सिंह	रतन सिंह
6	किशन प्रकाश	किशन सिंह
7	इतवार सिंह	इतवार सिंह
8	मोहरा सिंह	मोहरा सिंह
9	गोबिन्द सिंह	गोबिन्द सिंह
10	किरण लाल सिंह	किरण लाल सिंह
11	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
12	जमलता	जमलता देवी
13	तारा देवी	तारा देवी
14	शान्ति देवी	शान्ति देवी
15	शोला देवी	शोला देवी
16	सुशीला देवी	सुशीला देवी
17	गोपवती देवी	गोपवती देवी
18	मुहम्मद देवी	मुहम्मद देवी
19	मुहम्मद देवी	मुहम्मद देवी
20	शुक्लता देवी	शुक्लता देवी
21	रजिनी देवी	रजिनी देवी
22	शंकरा देवी	शंकरा देवी
23	मीना देवी	मीना देवी
24	वीना देवी	वीना देवी
25	ऊषा देवी	ऊषा देवी
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

